संख्या-179/22-02-2014-17(118)/2012

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त,2015

विषय :- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूज्जमा पुत्र श्री इद्रीश, निवासी जिला-आजमगढ के दया याचिका के आधार पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1588/प्रो0-5दया0-अन्य-118/10-12-20013 दिनांक 17-01-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कमरूज्जमा पुत्र श्री इद्रीश, निवासी ग्राम-हिरनई गुल्लीगढ,थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 19-12-1979 को नाबदान के पानी के बहाव को लेकर 11 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-125/1980 में भा0 द0 वि0 की धारा-302, 325/34, 324/34 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ द्वारा दिनांक 14-05-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05-08-2013 तक 06 वर्ष 08 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 02 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 09 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से दोषमुक्त, तथा 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिग्त सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी कमरूज्जमा (बन्दी संख्या-47147) पुत्र श्री इद्रीश निवासी, ग्राम-हिरनई गुल्लीगढ, थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया शासन के निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-179(1)/22-2-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।